प्रश्न संख्याः 2(1)47
द्वारा : श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि छराबड़ा में हेली पेड को जाने वाली सड़क पर नगर निगम शिमला की कितनी भूमि/सम्पति है। क्या वहां पर नगर निगम शिमला का पुराना किमैन क्वाटर या अन्य आवास बना था और इस आवास और इस भवन का पूर्ण स्टेटस क्या है? इसका पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	उपायुक्त महोदय ने बताया कि छराबड़ा में हैली पेड जो जाने वाली सड़क पर नगर निगम शिमला की भूमि सम्पति है। वहां पर नगर निगम शिमला का पुराना कीमैन क्वाटर है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः- 1. शिवराम कीमैन(नगर निगम शिमला) संजौली जॉन (Sub.Division) के अन्तर्गत। 2. बिजली बोर्ड कार्यालय (कनिष्ठ अभियन्ता) 3. हिरा लाल (peon) जल शक्ति विभाग टुटीकण्ड़ी शिमला। एक कमरा खाली है और इसके साथ कुछ जगह खाली पड़ी है।

श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि वहां पर नगर निगम शिमला की कितनी सम्पत्ति है? इस सम्पत्ति को SJPNL से वापिस लिया जाए और वहां पर नव निर्माण करवा जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि निगम पटवारी ने मौका भी देख लिया है व राजस्व अभिलेख के अनुसार उक्त स्थान पर नगर निगम के नाम पर सम्पत्ति नहीं है व न ही नगर निगम के नाम कब्जा है इसलिए निगम द्वारा यहां पर निमाण कार्य नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्याः 2(2)48
द्वारा : श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि दौलत राम परिसर में दूकान नं0-2 जो अग्नि पीड़ितों को ग्यारह महीने के लिए अस्थाई रूप से दी गई थी,	इस बारे अवगत करवाया जाता है कि दौलत राम परिसर में दुकान नं0-2 श्री पी0पी0 सिंह को अग्नि पीड़ित आधार पर ग्यारह महीने के लिए अस्थाई रूप से दी गई थी। श्री ओम प्रकाश द्वारा सम्बन्धित दुकान नं0-2 को अपने नाम करवाने बारे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया

	वह अभी किसके कब्जे में है? यदि इस दूकान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	है, जो कि अभी विचाराधीन है तथा स्वीकृति हेतू मामला हि0प्र0 सरकार को प्रेषित किया गया है।
ख)	उक्त जली हुई मार्किट अब बन कर तैयार हो गई है, उस में अग्नि पीड़ितों को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	पूछे गए प्रश्न बारे अवगत करवाया जाता है कि उक्त जली हुई मार्किट जोकि अब बन कर तैयार हो गई है, वह मार्किट एक निजी सम्पत्ति थी तथा नगर निगम शिमला की सम्पत्ति न थी। नगर निगम शिमला द्वारा केवल उस समय दौलत राम परिसर में अग्निपीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए ग्यारह माह की लीज पर दुकानों का आबंटन किया गया था परन्तु अग्निपीड़ित परिवारों द्वारा आज तक आबंटित दुकानों का कब्जा निगम को नहीं सौंपा गया है।

श्री संजीव सूद, मा0 मनोनीत पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि Fire Victim को जब यह दुकाने 11 माह के लिए दी गई थी तो 11 माह बाद इन दुकानों को वापिस क्यों नहीं लिया गया, श्री ओम प्रकाश कौन है? इसके साथ क्या agreement हुआ है? इस मामले को चैक किया जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि ओम प्रकाश की दुकान का मामला पूर्व में सदन द्वारा पास होने के उपरान्त सरकार को भेजा जा चुका है।

प्रश्न संख्याः 2(3)49

द्वारा : श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि अप्रैल माह की मासिक बैठक में कोविड-19के दौरान के कूड़ा, बिजली, पानी व टैक्स के बिल माफ करने प्रस्तावित थे, अभी तक इस बारे क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	नगर निगम, शिमला की 12वीं साधारण बैठक दिनांक 01.04.2020 के प्रस्ताव संख्या 2(6) द्वारा अन्य निर्णयों सहित कोविड-19 अवधि के दौरान कूड़ा, बिजली, पानी व टैक्स के बिलों में प्रस्तावित बढौतरी को 30.06.2020 तक स्थगित करने और इस अवधि में लोगों से किसी प्रकार की पैनल्टी व व्याज न लिए जाने का निर्णय लिया गया था। कोविड-19 अवधि के दौरान सम्पत्ति कर बढौतरी में छूट देने व पैनल्टी या ब्याज माफ करने बारे मामला सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ कार्यालय आदेश पृष्ठांकन सख्या

		MCS/Comm./2020-1315 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा उठाया गया था। इसके उपरान्त नगर निगम शिमला द्वारा प्रस्ताव संख्या 3(4) दिनांक 27.05.2020 द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति करो में दो तिहाई छूट का मामला निगम अपने स्तर पर कर सकती है परन्तु लॉकडाउन के दौरान अन्य व्यवसायिक स्थापनाओं जैसे दुकानें, होटल व लीज्ड प्रापर्टीज इत्यादि बन्द रहने की अवधि तक छूट देने बारे मामला सरकार के साथ उठाने का निर्णया लिया गया था। इसके अतिरिक्त नगर निगम शिमला की दिनांक 27.06.2020 का सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव संख्या 3(4) द्वारा निर्णय लिया गया था कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली, पानी, सम्पत्ति कर और कूडे के बिलों में दो माह की छूट दिए जाने पर निगम को होने वाले घाटे की भरपाई हेतू मामला सरकार को पूनः भेजा जाए। नगर निगम शिमला द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली, पानी, सम्पत्ति कर और कूडे के बिलों में छूट दिए जाने बारे समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसरण में मामला सचिव, शहरी विकास, हि0 प्र0 सरकार के साथ कार्यालय पत्र सख्या MCS/Comm./GA/2020-3256 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा उठाया गया था। मामले में सचिव, शहरी विकास विभाग द्वारा पत्र सख्या UD-C(8)-1/2019-L दिनांक 02.12.2020 को मामले वांछित मुआवजे की राशि का आकलन करके समय अवधि सहित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। इस बारे सम्बन्धित विभागों से वांछित सूचना का आकलन करवाया जा रहा है।

श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि मुआवजे की राशि का जो आकलन करना है इसका कार्य समयबद्ध होना चाहिए। कूड़े के बिलों में जो advance payment करता है उसे 5% की छूट दी जाए और कूड़े के बिलों में 10% का Subscription rebate देने बारे क्या कार्यवाही की जा रही है? 6 माह का बिल मकान मालिक को पड़ रहा है क्योंकि कई बार property खाली रहती है। Service charges प्रति माह charge होने चाहिए। यह मामला सदन की अगली बैठक में लाया जाए। अतिरिक्त आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि कूड़े के बिलों में पिछले साल जो 10% की हाईक ली जानी थी वह नहीं ली गई है परन्तु बिलों में 10% की हाईक सिस्टम में नहीं हो पा रही थी जिसके कारण भी बिलों में देरी हुई थी। 6 माह तक जिसकी property खाली रहती है तो वह आवेदन करे तभी उसके कूड़े बिलों के बारे कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती सुषमा कठियाला, मा0 पार्षद ने कहा कि गुदामों के भी कूड़े के बिल बनाए जा रहे हैं जबकि वहां से कोई कूड़ा नहीं उठता है। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि मकान मालिकों की जो ID बनाई जा रही है उसमें कुछ Technically Issues आ रहे है। इसके लिए Joint Director IT का भी बुलाया गया है। इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा कि जिस घर से कूड़ा उठे उसका मोबाईल नं0 डाला जाए और उसे ही बिल दिया जाए। 6 माह से अधिक समय के लिए जिसका मकान खाली रहता है इस बारे वह ठोस प्रमाण दे तो उसका बिल मुआफ़ कर दिया जाएगा।

<u>प्रश्न संख्याः 2(4)50</u>
<u>द्वारा : श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद</u>

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि मेरे द्वारा पूर्व मासिक बैठक में लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ था कि पार्षद को कोरपोरेटर बोला जाए। इस बारे अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	नगर निगम शिमला द्वारा पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत किया जाता है कि मामल निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला को पत्र क्रमांकः ननिशि/संयु0आ0/691/मु0/ 2019-958 दिनांक 22.03.2019 के साथ उठाया गया था जिस बारे स्मरण पत्र भी जारी किया है, जोकि सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती शैली शर्मा, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि जो प्रस्ताव लगाए जाते हैं उस पर कार्यवाही होती है या नहीं? अतिरिक्त आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि सभी मामलों में कार्यवाही की जाती है और इस मामले में भी कार्यवाही की गई है व सरकार को स्मरण पत्र द्वारा फिर से अनुरोध किया जाएगा।

<u>प्रश्न संख्याः 2(5)51</u>
<u>द्वारा : श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद</u>

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
	How many complaints related to dog bites/attack has been received by MC	104 No. of complaints received. 656 No. of dogs have been

	Shimla from January 2019 to December 2020 ? How many dogs have been sterilized during the same period ? (Provide month wise data). Also provide the detail of wards in which these sterilization programs were executed.	sterilized. Month wise detail of sterilization enclosed. Dogs for sterilization were picked from all the wards.

श्रीमती सिमी नंदा, मा0 पार्षद ने कहा कि ward wise data नहीं दिया गया है कि किस वार्ड में कितने dogs sterilize किए गए है। इस बारे पार्षदों को भी inform किया जाना चाहिए। VPHO ने सदन को अवगत करवाया कि हर माह इस सम्बन्ध में रिपोर्ट Director व आयुक्त नगर निगम को दी जा रही है। भविष्य में जहां से कुत्तों को उठाएगें वहां के सम्बन्धित पार्षद को भी अवगत करवा दिया जाएगा और हैल्थ ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा।

<u>प्रश्न संख्याः 2(6)52</u>

<u>द्वारा : श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद</u>

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि सैहब सोसायटी का गठन कब किया गया था और उस समय इसमें कौन-कौन लाईफ सदस्य थे और उस समय किन की अध्यक्षता में यह सैहब सोसायटी गठित हुई और इसकी पहली बैठक किनके साथ हुई तथा वर्तमान में सैहब सोसायटी की क्या स्थिति	सैहब सोसाईटी का गठन 12 फरवरी 2009 का किया गया है। सैहब सोसाईटी की जनरल हाउस की बैठक 31/01/2009 को आयुक्त महोदय श्री ए0 एन0 शर्मा जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उस समय कुल 9 जनरल हाउस के सदस्य थे। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है। 1. Sh. A.N Sharma, Commissioner. 2. Sh. Ashish Kohli, Assistant Commissioner. 3. Sh. Joginder Chauhan, Legal Advisor-cum Law Officer. 4. Dr. Sonam Negi, Corporation Health Officer. 5. Sh. Lalit Bhushan,Executive Engineer,(R&B). 6. Dr. Arun Sarkek, VPHO. 7. Sh. Mukesh Hira Municipal Engineer. 8. Sh. Rajeev Sharma, Architect Planner. 9. Sh. S.L Mahev, Account Officer. वर्तमान में लाईफ सदस्यों की कुल संख्या 105 है। सैहब सोसाईटी की साधारण वार्षिक बैठक का ब्यौरा निम्न प्रकार से है- पहली साधारण बैठक - 14/05/2010 द्वितिय वार्षिक साधारण बैठक - 25/07/2011 तृतिय वार्षिक साधारण बैठक - 2012 चौथी व पांचवी साधारण बैठक - 05/08/2014 छठी वार्षिक साधारण बैठक - 06/11/2015 सातवी वार्षिक साधारण बैठक - 18/09/2017

<table>
<tr><td></td><td>है इसमें कितने सदस्य है और इसकी AGM की बैठक कब-कब हुई है? इसका पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</td><td></td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>क्या यह नगर निगम शिमला का पार्ट है, क्या सैहब सोसायटी को नगर निगम फण्ड़ से प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। इन पर प्रतिमाह कितनी धन राशि व्यय की जा रही है और इस समय सैहब सोयायटी को प्रतिमाह कितना गारवेज शुल्क प्राप्त हो रहा है? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।</td><td>सैहब सोसाईटी का गठन 12 फरवरी 2009 का किया गया है। सैहब सोसाईटी हिव प्र0 सौसाईटी रजिस्ट्रैषन 2006 एक्ट (No 25/2006) रजिस्टर है। जिसका रजिस्ट्रैषन न0 1/2009 दिनांक 12/02/2009 है। निगम द्वारा जो कर्मचारी सैहब सोसाईटी के अर्न्तगत Out-sourcing किये गये है। इन Out Source कर्मचारियों का वेतन सैहब सोसाइटी को नगर निगम षिमला द्वारा (Reimbursement) किया जाता है। जो इस प्रकार हैः–
<u>Reimbursement by M.C Shimla</u>
<table>
<tr><th>Sr. No Category</th><th>No of Employees</th><th>Gross Salary (in Rupees)</th><th>Employer Share 13.36% (in Rupees)</th><th>ESI Employer (in Rupees) Share 3.25%</th><th>Total Gross Salary+EPF-(13.36%)+ESI-(3.25%) Employer Share</th></tr>
<tr><td>Street Sweeping</td><td><u>145</u></td><td><u>1415383</u></td><td><u>182607</u></td><td><u>46000</u></td><td><u>1643990</u></td></tr>
<tr><td>Driver</td><td><u>33</u></td><td><u>481139</u></td><td><u>61520</u></td><td><u>15637</u></td><td><u>558296</u></td></tr>
<tr><td>Casual Worker</td><td><u>151</u></td><td><u>1230625</u></td><td><u>159981</u></td><td><u>39995</u></td><td><u>1430601</u></td></tr>
<tr><td>Bharyal Plant</td><td><u>4</u></td><td><u>60153</u></td><td><u>7166</u></td><td><u>1955</u></td><td><u>69274</u></td></tr>
<tr><td>Total worker</td><td><u>331</u></td><td><u>3187300</u></td><td><u>411274</u></td><td><u>103587</u></td><td><u>3702161</u></td></tr>
</table>
सैहब सोसाईटी में प्रतिमाह प्राप्त गारवेज षुल्क का ब्यौराः–
माह अक्तूबर, 2020 में कुल आय रु. 1,08,65,122/–
माह नवम्बर, 2020 में कुल आय रु. 1,01,21,267/–
माह दिसम्बर, 2020 में कुल आय रु. 82,73,202/–</td></tr>
</table>

श्रीमती कमलेश मैहता, मा0 पार्षद ने कहा कि सैहब सोसायिटी नगर निगम शिमला का पार्ट है या नहीं क्यों कि उत्तर में यह नहीं दर्शाया गया है। क्या सैहब सोसायिटी के पैसे बढाने की शक्ति नगर निगम को है या नहीं? आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि सैहब सोसायिटी एक Registered Society है और नगर निगम शिमला के तत्वावधान में है। Governing Body पैसे बढा सकती है और मामले AGM में लाए जाते है।

<u>प्रश्न संख्याः 2(7)53</u>

<u>द्वारा : श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद</u>

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाऐंगे कि वर्ष 2006 में नये समिलित क्षेत्रों के भवनों को नियमितिकरण की दिशा में क्या प्रयास किए है? इस बारे पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	इस बारे सूचित किया जाता है कि नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार के भवन नियमितिकरण हेतू सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं के अर्न्तगत अधिसूचित दिशा-निर्देशों व निर्धारित माप-दण्डों के आधार पर किया जाता है। जहा तक प्रश्न नये सम्मिलित क्षेत्रें के भवनों के नियमितिकरण का है तो यह एक नितिगत मामला है तथा 2006 के पश्चात सरकार द्वारा वर्ष 2006 व 2009 में रिटेशन पॉलिसी के अन्तगत भवनों के नियमितिकरण हेतू अधिसूचना जारी की गई थी परन्तु यह निति विशेष क्षेत्रों के लिये न होकर निगम परिधि में सभी नये व प्राने क्षेत्रों हेतू लागू थी इसके पश्चात वर्ष 2017 में सरकार द्वारा अवैध भवनों के नियमितिकरण हेतू एक मुश्त राहत प्रदान करने हेतू अध्यादेश जारी किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पर 3.4.2017 को रोक लगा दी गई तथा बाद में इसे माननीय न्यायालय द्वारा 22.12.2017 को dismiss कर दिया गया। तत्पश्चात सरकार द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 26.10.2018 को Civil Review file किया गया तथा जो कि माननीय उच्च न्यायालय में निर्णय हेतू विचाराधीन है। नये सम्मिलित क्षेत्रों में भवनों के नियमितिकरण बारे इस समय कोई विशेष नीति लागू नही है। इसके अतिरिक्त यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि वर्तमान में निगम परिधि के सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले भवनो के प्रस्तावित, संशोधित व सम्पूर्ण नक्शे भी वांछित दस्तावेजा व अन्य औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त नगर निगम अधिनियम 1994 व नगर निगम भवन उप-विधि 1998 के अन्तगत तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों को ध्यान म रखते हुये स्वीकृत किये जाते है।

श्री दिवाकर देव शर्मा, मा0 पार्षद ने कहा कि मामले में Review का क्या status है? नये समिलित क्षेत्रों के भवनों को नियमितिकरण बारे सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। आयुक्त ने सदन को अवगत करवाया कि नये समिलित क्षेत्रों के भवनों को नियमितिकरण बारे कोई special policy नहीं बनी है और यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस मामले में चर्चा नहीं की जा सकती है।